

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1935 (श0) पटना, सोमवार, 18 नवम्बर 2013

(सं0 पटना 853)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचनाएं 13 सितम्बर 2013

जी०एस०आर० 9, दिनांक 18 नवम्बर 2013—चूंकि कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (अधिनियम 7, 1980) की धारा-9 के अधीन ''सलाहकारबोर्ड'' का पुनर्गठन आवश्यक है ।

अतएव, कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा -9 द्वारा प्रदत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना के मनोनयन के आधार पर माननीय न्यायाधीश श्री नवीन सिन्हा (आसीन न्यायाधीश), उच्च न्यायालय, पटना के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष तथा माननीय न्यायाधीश श्री आदित्य नारायण चतुर्वेदी (सेवानिवृत्त) एवं माननीय न्यायाधीश श्रीमती रेखा कुमारी (सेवानिवृत्त) को सदस्य के रूप में तात्कालिक प्रभाव से नियुक्त करते है एवं तदनुसार उक्त सलाहकार बोर्ड का गठन एतद् द्वारा किया जाता है।

(सं0 प्र04-ब01-01/2008—5944) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव ।

13 सितम्बर 2013

जी०एस०आर० 10, जी०एस०आर० 9, दिनांक 18 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल, बिहार के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

(सं0 प्र04-ब01-01/2008—5944) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव ।

The 13th September 2013

G.S.R. 9, dated the 18th November 2013—Whereas, it is necessary to reconstitute the "Advisory Board" under Section–9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 (Act 7 of 1980).

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section –9 of the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, the Governor of Bihar is pleased to appoint Hon'ble Mr. Justice Navin Sinha, (Sitting Judge) as Chairman of the Advisory Board and Hon'ble Mr. Justice Aditya Narayan Chaturvedi (Retired) and Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retired) as Members, on the basis of nomination of Hon'ble Chief Justice, High Court, Patna with immediate effect and accordingly the said Board is hereby reconstituted.

(No. Pra-04-B1-01/2008—5944) By order of the Governor of Bihar, (Sd.) Illegible, Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 853-571+100-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in